# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

**अपील सं0 :– 06 / 2014**

**(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. हीरा पत्नि समयसिंह,
2. मल्ली पत्नि रोहताश,
3. भाती पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम आसलवास तहसील बावल जिला रेवाड़ी प्रान्त हरियाणा ।

.................... अपीलांटान

बनाम

1. किशनलाल,
2. बालाराम पुत्रान रामपाल,
3. बनवारी,
4. श्योराम पुत्रान श्री किशनलाल,
5. शीशराम पुत्र श्री बालाराम जाति गूर्जर निवासीयान ग्राम रोंपड़ा तहसील व जिला अलवर राज0 ।

.................. असल रेस्पोडेन्टान / वादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार अलवर राज0 ।
7. प्रहलाद,
8. रत्तीराम पुत्रान सूण्डाराम निवासीयान ग्राम धोकली तहसील व जिला अलवर राज0
9. लेखराम पुत्र श्री गणपत जाति गूर्जर निवासी ग्राम अधीरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 ।

................ तरतीबी रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भीमसैन विजय अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1, 2 व 5
3. श्री प्रवीण मित्तल अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 3 व 4

## ::: निर्णय :::

**दिनांक :–16.01.2018**

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सीरावास तहसील व जिला अलवर में आराजी ख0 नं0 622/1382 रकबा 4 बीघा, 625 रकबा 4 बीघा, 622 रकबा 4 बीघा, 624 रकबा 4 बीघा, 624/1383 रकबा 4 बीघा व 623 रकबा 8 बीघा तथा 638 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम सीरावास में स्थित है जो आराजी विवादित है । उक्त हाल खसरा नम्बरान के पुराने खसरा नम्बर निम्न प्रकार हैं –

| | गत | हाल |
|---|---|---|
| 1. | 102/67 रकबा 4 बीघा | 622/1382 रकबा 4 बीघा |
| 2. | 102/70 रकबा 4 बीघा | 625 रकबा 4 बीघा |
| 3. | 102/68 रकबा 4 बीघा | 622 रकबा 4 बीघा |
| 4. | 102/69 रकबा 4 बीघा | 624 रकबा 4 बीघा |
| 5. | 102/78 रकबा 4 बीघा | 624/1383 रकबा 4 बीघा |

साबिक ख0 नं0 102/70 रकबा 4 बीघा कन्हैया पुत्र अयोद्धा गूजर को आवंटित हुई थी । कन्हैया उक्त आराजी का खातेदार हो गया तथा यह आराजी वादी सं0 3 द्धारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 2.6.90 को खरीद की गई थी व उक्त खरीद से वादी नं0 3 काबिज चला आ रहा है जिसका हाल ख0 नं0 625 बना है । इस वक्त वादी नं0 3 हाल ख0 नं0 625 पर काबिज है । आराजी साबिक ख0 नं0 102/67 रामपाल पुत्र गणपत जाति गुजर को आवंटित की गई थी रामपाल इस आराजी का खातेदार था तथा इस आराजी को वादी नं0 5 शीशाराम द्धारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 2.6.90 को खरीद कर लिया तथा वक्त खरीद से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जिसका हाल नं0 622/1382 बना है । आराजी साबिक ख0 नं0 102/69 रामकुवार पुत्र मंशाराम गुजर को आवंटित की गई थी जो कि उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार था । वादी नं0 2 बालाराम द्धारा उक्त आराजी रामकुवार से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा 2.6.90 को खरीद की गई तथा वक्त खरीद से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । आराजी साबिक ख0 नं0 102/78 रिछपाल पुत्र रामदेव गुजर को आवंटित हुई थी । रामदेव इस आराजी का खातेदार काश्तकार था । वादी नं0 4 श्योराम द्धारा यह आराजी रिछपाल से जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 2.6.90 को खरीद की थी तथा इस आराजी के हाल ख0 नं0 624/1383 बने है तथा वक्त खरीद से वादी सं0 4 काबिज है । आराजी ख0 नं0 साबिक 102/68 लीला पुत्र मंगु जाति गुर्जर को आवंटित की गई थी जो इस आराजी का खातेदार काश्तकार था । वादी नं0 1 किशनलाल द्धारा उक्त आराजी लीला से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 2.6.90 को खरीद की गई तथा इस आराजी के हाल ख0 नं0 622 पर वादी नं0 1 किशनलाल काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है । वादीगण अपनी–अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं । हाल सैटलमेन्ट के वक्त हमारे खसरा नम्बरान साबिक के हाल खसरा नम्बरान गलत दर्ज कर दिये थे जिस पर वादीगण ने सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे नम्बरान का हाल ख0 नं0 623 गलत दर्ज कर दिया है जो गलत है । ख0 नं0 623 सिवायचक की जगह है । इस प्रार्थना पत्र पत्र सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने मौके की रिपोर्ट सक्षम अधिकारीगण से तलब कर गलत इन्द्राज दुरूस्त किये

तथा ख0 नं0 623 को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के मुताबिक वादीगण को विवादित आराजी का पर्चा जारी किया था । पर्चा सैटलमेन्ट से मिल जाने से वादीगण को तसल्ली हो गई कि हमारा रेकार्ड सही कर दिया गया है । अब पटवारी हल्का से जानकारी हुई है कि हमारे रेकार्ड में अब भी गलती है । हाल ख0 नं0 625 वादी बनवारी की खातेदारी कां नम्बर है कि जो हाल जमाबन्दी में प्रतिवादी रतीराम के नाम दर्ज हो गया है । रतीराम की खातेदारी का ख0 नं0 626 है लेकिन रतीराम को ख0 नं0 हाल 625 पर खातेदार दर्ज कर दिया है कि जो गलत है । वादी बनवारी को गलती से ख0 नं0 624 पर खातेदार गलत दर्ज कर दिया है । वादी बनवारी को उसके ख0 नं0 625 पर खातेदार घोषित करके रेकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया । बाद तहकीकात निम्नलिखित दादरसी फरमायी जावे– डिकी इस्तकरारहक बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि वादी सं0 1 को ख0 नं0 622 पर वादी सं0 2 को ख0 नं0 624 पर, वादी सं0 3 को ख0 नं0 625 पर, वादी सं0 4 को ख0 नं0 624/1383 पर व वादी सं0 5 को ख0 नं0 622/1382 पर बतौर खातेदार अंकित किया जाकर सैटलमेन्ट से आज तक का इन्द्राज दुरूस्त किया जावें । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया लेकिन प्रतिवादी सं0 2 व 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये तथा प्रतिवादी सं0 4 व पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 व पैरोकार सरकार की बहस सुनकर वादीगण का वाद दिनांक 26.05.2009 को डिकी कर दिया जिस निर्णय व डिकी दि0 26.05.2009 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट के अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने यह कहकर वाद दायर किया है कि वादी का नक्शा बन्दोबस्त ने गलत बना दिया है । जहां वादी कब्जे में है वहां दूसरे की खातेदारी दर्ज हो रही है और जहां दूसरे का कब्जा है वहां वादी का रेकार्ड है । इसमें वादी ने वाद के माध्यम से दुरूस्ती चाही है । वाद में विवादित आराजीयात का विवरण इस प्रकार है –

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 102/67 रकबा 4 बीघा, रामलाल पुत्र गणत | 622/1382 रकबा 4 बीघा, शीशराम |
| 2. | 102/68 रकबा 4 बीघा, लीला पुत्र गंगतू | 622 रकबा 4 बीघा, किशनलाल |
| 3. | 102/69 रकबा 4 बीघा, रामकुवर पुत्र मंशाराम | 624 रकबा 4 बीघा, बालाराम गुर्जर |
| 4. | 102/70 रकबा 4 बीघा, कन्हैया पुत्र अयोध्या | 625 रकबा 4 बीघा, बनवारी |
| 5. | 102/78 रकबा 4 बीघा, रिछपाल पुत्र रामदेव | 624/1383 रकबा 4 बीघा, श्योराम |

उक्त आराजीयात साबिक नम्बरान से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 2.6.90 से वादीगण ने खरीदी थी तथा साबिक खसरा नम्बरान से बने हाल खसरा नम्बरान अनुसार वादीगण विवादित आराजी पर कब्जे काश्त में हैं । वादी का कथन है कि हाल बन्दोबस्त ने हाल खसरा नम्बर गलत दर्ज कर दिये जिसे दुरूस्त कराने हेतु सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे खसरा नम्बरा का हाल ख0 नं0 623 गलत दर्ज कर दिया

है । ख0 नं0 623 सिवायचक की जमीन है । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने ख0 नं0 623 को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये । सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश के मुताबिक वादी सं0 1 किशनलाल को हाल ख0 नं0 622 का पर्चा, वादी नं0 2 बालाराम को हाल ख0 नं0 624 का पर्चा व वादी नं0 3 बनवारी को हाल ख0 नं0 625 का पर्चा तथा वादी नं0 4 श्योराम को हाल ख0 नं09 624/1383 का पर्चा तथा वादी नं0 5 शीशराम को हाल ख0 नं0 622/1382 का पर्चा जारी किया गया । पर्चा सैटलमेन्ट प्राप्त होने से हम वादीगण को तसल्ली हो गयी कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने सही दुरूस्ती कर दी है परन्तु पटवारी हल्का से जानकारी आयी कि बन्दोबस्त ने रेकार्ड में गलती कर दी है । हाल ख0 नं0 625 वादी बनवारी की खातेदारी का नम्बर है वह हाल जमाबन्दी में रतीराम के नाम दर्ज हो गया । रतीराम की खातेदारी का ख0 नं0 626 है । वादी बनवारी को गलती से ख0 नं0 624 पर खातेदार दर्ज कर दिया जबकि वह ख0 नं0 625 का खातेदार होना चाहिए । वादी शीशराम हाल ख0 नं0 622/1382 का खातेदार है । इस पर प्रतिवादी प्रहलाद का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकि प्रहलाद वास्तविक रूप से ख0 नं0 621 का खातेदार है । वादी शीशराम को गलती से ख0 नं0 622 का खातेदार दर्ज कर दिया जबकि शीशराम ख0 नं0 622/1382 का खातेदार है । वादी सं0 1 किशनलाल ख0 नं0 622 का काबिज खातेदार है परन्तु 622 पर शीशराम का नाम दर्ज कर दिया और किशनलाल को ख0 नं0 623 का खातेदार अंकित कर दिया । ख0नं0 623 सिवायचक जमीन है । वादी सं0 1 को ख0 नं0 622 का खातेदार घोषित कराना चाहते हैं । वादी बालाराम हाल ख0 नं0 624 का काबिज खातेदार काश्तकार है परन्तु इस पर बनवारी का नाम दर्ज कर दिया जबकि बनवारी ख0 नं0 625 का खातेदार काश्तकार है । वादी बालाराम का सिवायचक ख0 नं0 623 में गलत रूप से नाम दर्ज किया गया है । बालाराम ख0 नं0 624 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें । वादी श्योदान हाल ख0 नं0 624/1383 का खातेदार काश्तकार काबिज है । ख0 नं0 624/1383 पर लेखराम प्रतिवादी का गलत तरीके पर खातेदार नाम दर्ज कर दिया । लेखराम हाल ख0 नं0 634 का खातेदार है । लेखराम की ख0 नं0 624/1383 पर गलत खातेदारी दर्ज की है । वादी श्योराम हाल ख0 नं0 624/1383 का खातेदार काश्तकार है लेकिन श्योराम वादी को गलत तरीके से ख0 नं0 638 सिवायचक पर खातेदार दर्ज कर दिया । वादी को हाल ख0 नं0 624/1383 का खातेदार काश्तकार घोषित करके इन्द्राज दुरूस्ती किये जावें । इस आशय की दुरूस्ती वादीगण द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी से की गयी । उनके द्वारा पैमाईश व पर्चा मौका तैयार कर आदेश दिये गये, परन्तु जमाबन्दी में अंकन नहीं किया गया । एक–दूसरे के नाम खातेदारी दर्ज होने तथा कब्जा व सहमति से वाद वादी डिक्री किया गया । वादी सं0 1 को 622 पर, वादी सं0 2 को 624 पर, वादी सं0 3 को 625 पर, वादी सं0 4 को 624/1383 पर तथा वादी सं0 5 को ख0 नं0 622/1382 पर बतौर खातेदार घोषित कराने की इस्तदुआ की ।

प्रतिवादी सं0 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादी सं0 4 लेखराम पुत्र गणपत ने इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया । बाद में आदेश 7 नियम 14 के तहत रेकार्ड पेश किया । मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी । मौका रिपोर्ट के अनुसार ख0 नं0 624/1383 पर श्योराम पुत्र किशनलाल, बाला पिसरान रामपाल गूजर निवासी रोगड़े का कब्जा पाया गया । तहत न्यायालय के निर्णय के अनुसार आराजी



16/11

ख0 नं0 102/78 रिछपाल ख़ातेदार से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 2.6.90 को श्योराम पुत्र किशनलाल वादी नं0 4 ने खरीदा जिसका हाल ख0 नं0 624/1383 जिस पर श्योराम पुत्र किशन काबिज है ।

अपीलांट का मूल बिन्दु बहस का ये है कि लेखराम भी विवादित आराजी ख0 नं0 624/1383 में खातेदार दर्ज रेकार्ड था । लेखराम ने अपनी जमीन को सुगनी देवी को बेचान किया है और सुगनी देवी से हम अपीलांट ने जमीन खरीदी है तथ इस आशय का नामान्तकरण भी दर्ज हुआ है । अपीलांट लेखराम के फुटस्टेप पर आये हैं । चूंकि जब हम खरीददार है तो हमें पक्षकार मुकदमा बनाया जाना चाहिए । हमें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया और डिक्री जारी की गयी उसकी पालना नहीं हुई । तब हमें पता चला कि इस आराजी के संबंध में तहत न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जिससे हम व्यथित हैं । जैसे ही जानकारी मिली 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके अपील स्वीकार की जावें तथा प्रकरण को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें ।

तहत न्यायालय के निर्णय में गलती बताते हुए अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि तहत न्यायालय ने इकबाल दावा पर गौर नहीं किया तथा रेस्पो0/प्रतिवादी का नाम कलमजन नहीं किया । इस प्रकार से नये नम्बरों के खातेदार भी घोषित हो गये और पुराने नम्बरों को कलमजन भी नहीं किया । यही तहत न्यायालय की गलती है । इन्तकाल सं0 225 से लेखराम से सुगनी देवी के नाम दर्ज हुआ है जिसमें ख0 नं0 624/1383 रकबा 1.00 है0 का स्थानान्तरण हुआ है । जमाबन्दी के खाता सं0 145 में अंकन होना बताया है । तहत न्यायालय का निर्णय 2009 का है । सुगनी देवी को लेखराम ने 2005 में बेचान किया है तो सुगनी देवी को पक्षकार क्यू नहीं बनाया । अपीलांट ने सुगनीदेवी से जमीन खरीदी है । जब सुगनी देवी को ही पक्षकार नहीं बनाया तो हमें कहां से पता चलता । जानकारी पर 96 सी. पी.सी. के साथ अपील की है । जब चेतराम ने इकबाल दावा में कहा है कि ख0 नं0 634 पर काबिज है तो चेतराम का खसरा नम्बर क्यू दुरूस्त नहीं किया । इकबाल दावे से चेतराम भी खातेदार होता । पूर्व इन्द्राजों को कलमजन करने के आदेश जारी नहीं किये हैं । हमें भी तो जमीन चाहिए । हम कहां से लें । अतः फलहीन आदेश है जिसकी पालना नहीं हो सकती है । अतः संशोधित आदेश जारी करने तथा लेखराम को भी इकबाल दावे के आधार पर खातेदार घोषित करने के लिए अपील मंजूर करके प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावें । वादी की प्रार्थना के अनुसार ही आदेश जारी हो सकें ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2013 पेज 268 प्रस्तुत की ।

जवाब बहस में रेस्पो0 अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं थे । अतः 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र जब तक स्वीकार नहीं हो जाता है । इनको अपील पेश करने का अधिकार नहीं है । इसलिए अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें । धारा 5 के संबंध में जवाब में कहा कि दिनांक 12.2.2014 को जानकारी प्राप्त होना बता रहे हैं । पांच वर्ष बाद अपील पेश की है । अपीलांट हरियाणा के रहने वाले हैं । इनका कब्जा नहीं है । धारा 5 के संबंध में डिले कन्डोन का कोई औचित्यपूर्ण कारण नहीं है । अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य है ।

बहस जवाब में आगे कहा कि लेखराम से खरीदना बता रहे हैं जबकि लेखराम को स्वयं पक्षकार मुकदमा बनाया था और लेखराम द्वारा तो वादीगण के पक्ष में इकबाल दावा भी

पेश किया है, उसे तो जानकारी थी । यह अपील केवल ख0 नं0 102/78 जिसके हाल ख0 नं0 624/1383 बाबत पेश की है । ख0 नं0 102/78 श्योराम वादी की खरीदशुदा आराजी है । लेखराम का इस आराजी से कोई संबंध व सरोकार ही नहीं है । सन् 1990 में रजिस्टर्ड बयनामा से साबिक ख0 नं0 102/78 को तत्कालीन खातेदार रिछपाल पुत्र रामदेव से खरीदा है और इसके हाल ख0 नं0 624/1383 बने है जिसे बन्दोबस्त ने सही नहीं किया था । वादी श्योराम ने इसीलिए दावा पेश किया था । बन्दोबस्त ने गलती से लेखराम के नाम रेकार्ड दर्ज कर दिया । इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया । लेखराम ने इकबाल दावा पेश किया और दुरूस्ती के आदेश हो गये । इससे अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । गलत इन्द्राजों के आधार पर किये गये बेचान है शुरू से ही शून्य है । तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट से विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 102/78 के हाल ख0 नं0 624/1383 पर वादी श्योराम का कब्जा माना है । अतः वादी का दावा सही डिक्री किया है । जब हमने लेखराम को पक्षकार मुकदमा बना लिया है तो अपीलांट को पक्षकार मुकदमा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है । अतः तहत न्यायालय ने सही दावा डिक्री किया है । निर्णय के पैरा सं0 4 व 5 में विस्तृत निर्णय किया है । लेखराम का कब्जा तो ख0 नं0 634 पर है । उसके संबंध में अपीलांट ने कोई अपील ही नहीं की है । अतः अपील यही गलत है । लेखराम का स्थानान्तरण ही गलत है । अपीलांट का विवादित आराजी ख0 नं0 624/1383 से कोई लेना देना नहीं है । गलत इन्द्राजों पर की गई गलत बयनामा की कोई वेल्यू नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

जहां तक ख0 नं0 634 पर जिस पर वह काबिज है । यदि उसे खातेदारी चाहिए तो वह स्वयं अपील करें । डिक्री की पालना होती है या नहीं । इसलिए अपीलांट का कोई संबंध नहीं है ।

उन्होंने अपने कथन की ताईद में 2016 आर.आर.डी. पेज 1, 2011 आर.आर.डी. पेज 228, 2007 आर.आर.डी. पेज 311 व 2009 आर.आर.डी. पेज 150 व 661 पेश की ।

रेस्पो0 बनवारी के अभिभाषक ने अपने जवाब कथन व जवाब बहस में अलग से कहा कि धारा 5 में अपीलांट को स्पेशिफिक बताना पड़ेगा कि उसे किस प्रकार से जानकारी प्राप्त हुई । जानकारी का स्त्रोत क्या है तथा यह भी बताना पड़ेगा कि 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र कौन ला सकता है । सुगनीदेवी को बेचान 2005 का बता रहे हैं । दिनांक 6.11.2009 को सुगना ने अपीलांट को बेचान किया है जबकि वाद 2008 का है और तहत न्यायालय का निर्णय दि0 26.5.2009 का है । इस वक्त तो अपीलांट का अस्तित्व ही नहीं है तो 96 सी.पी.सी. में अपील कैसे कर सकते हैं । अतः 96 सी.पी.सी. में इनको स्वीकृति नहीं दी जा सकती है । वक्त निर्णय व डिक्री अपीलाट अस्तित्व में ही नहीं है तो इन्हें पक्षकार कैसे बनाया जा सकता है और ये किस तरह से 96 सी.पी.सी. में प्रार्थना पत्र पेश कर सकते है । अतः अपील खारिज की जावें । अन्त में ये भी कहा कि अपीलांट के अभिभाषक स्वयं तहत न्यायालय में अभिभाषक थे ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उभयपक्षों के द्वारा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।

तहत न्यायालय की पत्रावली, साबिक रेकार्ड तथा निर्णय का अवलोकन किया । अपीलांट की अपील के बिन्दुओं का अवलोकन करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.

सी. का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का भी अवलोकन किया और जवाब का भी अवलोकन किया गया ।

गुणावगुण पर अपीलांट का मुख्य अनुतोष ख0 नं0 हाल 102/78 से बने हाल ख0 नं0 624/1383 से संबंधित है । पत्रावली के अवलोकन अनुसार दौराने बन्दोबस्त ख0 नं0 624/1383 लेखराम के नाम दर्ज हो गया । इसी प्रकार से अन्य साबिक ख0 नं0 से बने हाल खसरा नम्बर जिनका वर्णन किया जा चुका है । एक-दूसरे की खातेदारी में गलत दर्ज हो गये । इन इन्द्राजों को दुरूस्त कराने बाबत ही यह वाद तहत न्यायालय में पेश किया । मौका रिपोर्ट व इकबाल दावे के आधार पर वाद वादी डिक्री कर दिया और ख0 नं0 हाल 624/1383 को वादी श्योराम के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । अपीलांट बन्दोबस्त इन्द्राजों के आधार पर उक्त प्रकरण को लेखराम से सुगना को बेचान और सुगना से स्वयं खरीद के आधार पर पक्षकार मुकदमा बनाने की प्रार्थना लेकर आये हैं ।

यहां कानूनी बिन्दु बहस के उपरान्त उभरकर आया है कि लेखराम को उक्त आराजी बाबत पक्षकार मुकदमा बनाया है जिन्होंने इकबाल दावा पेश किया । लेखराम ने उक्त आराजी 2005 में सुगनादेवी को बेचान करना बताया जो कि बन्दोबस्त के गलत इन्द्राज थे । अपीलांट द्वारा यह आराजी दिनांक 6.11.2009 को सुगना देवी से खरीद करना बता रहे हैं और तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.5.2009 को हो गया । इस आधार पर तो अपीलांट वक्त निर्णय अस्तित्व में ही नहीं थे तो उन्हें क्यों पक्षकार मुकदमा बनाया जाता । जहां तक लेखराम के फुटस्टेप पर आना बता रहे हैं तो इसके लिए तो स्वयं लेखराम या सुगना देवी ही इस तरह की अपील की हकदार थी । अपीलांट तो निर्णय दिनांक 26.5.2009 के बाद खरीददार बने हैं । अतः इस बिनाय पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है । जहां तक निर्णय की पालना होती है या नहीं इससे अपीलांट का कोई संबंध नहीं है । इसके लिए पूर्व पक्षकार स्वयं अपने स्तर पर कार्यवाही करें । इसलिए अपील अपलांट प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. ग्राह्य नहीं होने से खारिज योग्य पायी गयी है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अलवर का निर्णय व डिक्री दि0 26.05.2009 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.1.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर